झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–47 / 2020

गुड्डू उर्फ गुड्डू यादव उर्फ बागीरा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री गौरव, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री संदीप कु0 बर्नवाल, ए0पी0पी0।

02 / 15.01.2020 श्री गौरव, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं श्री संदीप कुमार बर्नवाल, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता को कर्रा थाना काण्ड संख्या 07 वर्ष 2019 तद्नुसार, जी0आर0 संख्या 100 वर्ष 2019 के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

सूचक और अन्य लोगों की 9850 / – रूपये की नकदी लूट ली गई और बैलों को भी ले जाया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता और अन्य लोगों को पकड़ लिया गया था और उनकी पहचान की गई थी। महफूज आलम के कबूलनामे पर जिसने याचिकाकर्त्ता का नाम दिया है, उसके पास से एक बैल और नकदी बरामद हुई।

हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 13.09.2019 से हिरासत में हैं, याचिकाकर्त्ता, जिसका नाम ऊपर है, को 10,000/– रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, खूंटी के संतुष्टि पर कर्रा थाना काण्ड संख्या 07 वर्ष 2019 तद्नुसार, जी0आर0 संख्या 100 वर्ष 2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है बशर्ते कि याचिकाकर्त्ता प्रत्येक तिथि को शारीरिक रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)